सं0– 1299 /IV(2)-श0वि0–10–11(मु0मं0घो0)/09

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक– 14 सितम्बर, 2010

विषय : मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष–2009–10 में नगर पालिका परिषद, चमोली–गोपेश्वर के अन्तर्गत "क्षेत्रपाल–चमोली में स्नानघाट के निर्माण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 1605/IV(2)–श0वि0–09–11(मु0मं0घो0)/09 दिनांक 3–11–2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में अवस्थापना विकास निधि से **नगर पालिका परिषद, चमोली–गोपेश्वर** के अन्तर्गत **क्षेत्रपाल–चमोली में स्नानघाट के निर्माण** कार्य हेतु रू0 31.42 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 20.00 लाख अवमुक्त किया गया था। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चमोली–गोपेश्वर के पत्र संख्या 867/मु0मं0घो(अवस्थापना)/2010–11 दिनांक 20–6–2010 के माध्यम से प्रेषित उपयोगिता प्रमाण के आधार पर अवमुक्त धनराशि रू0 20.00 लाख का उपयोग कर लिया गया है तथा न्यूनतम निविदा के सापेक्ष रू0 0.79 लाख की बचत हुई है। अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 3–11–2009 के माध्यम से स्वीकृत कार्य के लिए स्वीकृति हेतु अवशेष रू0 11.42 लाख में से न्यूनतम निविदा के सापेक्ष हुई बचत रू0 0.79 लाख का समायोजन करते हुए अवशेष धनराशि **रू0–10.63 लाख (रूपये दस लाख तिरसठ हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि **रू0–10.63 लाख (रूपये दस लाख तिरसठ हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित नगर पालिका परिषद को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जो शासनादेश की शर्तें पूर्ण करने पर कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे।
2. शासनादेश संख्या 1605/IV(2)–श0वि0–09–11(मु0मं0घो0)/09 दिनांक 3–11–2009 में उल्लिखित अन्य शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
4. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।
5. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
6. कार्य के मध्य तथा बाद में इसकी गुणवत्ता की चेंकिंग, किसी तृतीय तकनीकी पक्ष से कराके उसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित किया जायेगा और इसका खर्च योजना की अनुमोदित लागत से ही वहन किया जायेगा।

7. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
8. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
9. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
10. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनोदश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2011 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05– नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0–399/XXVII(2)/2010, दिनांक– 31 अगस्त, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

सं0–1299 (1)/IV(2)-श0वि0–10,तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, चमोली।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चमोली–गोपेश्वर।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।